vk/kkfxd izf'k{k.k laLFkku Åuk] vEc rFkk cxk.kk] ftyk Åuk ¼fgekpy izns'k½ ds fuf/k ys[kkvksa dk vads{k.k ,oa fujh{k.k izfrosnu

vof/k 4@2007 ls 3@2010

Hkkx&,d

1 xr vads{k.k izfrosnu %& गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों पर की गई कार्यवाही के अवलोकनोपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति इस प्रकार से थी :–

¼d½ vads{k.k izfrosnu vof/k 4@1998 ls 3@2001

1	पैरा 4	अंषतः निर्णीत	
2	पैरा 7	निर्णीत	(मांग एवं संग्रहण रजिस्टर पृष्ठ 33 पर ₹600/–की वसूली बारे पुष्टि कर ली गई)
3	पैरा 8	अंषतः निर्णीत	(निम्न विवरणानुसार ₹29,870/–प्राप्त की जा चुकी है तथा शेष बची राशि की वसूली की जानी वांछित है)

ekax ,oa laxzg.k iaftdk i"B la[;k	olwyh xbZ jkf'k
33	10320/–
33	2500/–
33	6600/–
39	2150/–
43	2800/–
43	5500/–
	₹29]870@&

4	पैरा 17	अनिर्णीत

¼[k½ vads{k.k izfrosnu vof/k 4@2001 ls 3@2002

1	पैरा 4(ख)	निर्णीत	(वित्तीय स्थिति के वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरों में नवीनतम स्थिति दर्षा दी गई है)
2	पैरा 5(घ)	निर्णीत	(प्रतिभूति निधि रोकड़ बही के पृष्ठ 92 पर ₹7,500/–जमा करने बारे पुष्टि कर ली गई)

3	पैरा 6	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/07 से 3/2010 में नवीनतम स्थिति दर्षाते हुए पैरा पुनः प्रारूपित किया गया है)
4	पैरा 7	निर्णीत	(समस्त रसीदों की पुष्टि कर ली गई)
5	पैरा 8(क)	अनिर्णीत	
6	पैरा 10(क)	अनिर्णीत	
7	पैरा 13	निर्णीत	(सटिप्पण उत्तर के अनुसार)

¼x½ <u>vadk{k.k ifrosnu vof/k 4@2002 ls 3@2003</u>

1	पैरा 4	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/07 से 3/2010 में नवीनतम स्थिति का पैरा पुनः प्रारूपित कर दिया गया है)
2	पैरा 5	अंषतः निर्णीत	(i) हिमाचल प्रदेश सरकार के तकनीकी शिक्षा व्यवसायिक एंव औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग की अधिसूचना संख्याः एस0 टी0 वी0 (आई0टी0) एफ (5)–5/85, दिनांक 04.11.85 के पैरा (ङ) तथा (च) के अनुसार। (ii) कुटेषनों तथा प्रोफोर्मा इन्वायस बारे कार्यवाही की जानी वांछित है।
3	पैरा 6	अनिर्णीत	
4	पैरा 7	अनिर्णीत	
5	पैरा 8	निर्णीत	(₹125/–की वसूली बारे पुष्टि माँग एवं संग्रहण रजिस्टर के पृष्ठ 34 पर कर ली गई तथा सटिप्पण उत्तर के अनुसार)
6	पैरा 9	अनिर्णीत	
7	पैरा 10	अनिर्णीत	
8	पैरा 11	अनिर्णीत	
9	पैरा 12	निर्णीत	(मूल अभिलेख की पुष्टि कर ली गई है)
10	पैरा 13	अनिर्णीत	
11	पैरा 14	अनिर्णीत	

12	पैरा 16	निर्णीत	(₹120 / –जमा करने बारे पुष्टि माँग एवं संग्रहण पंजिका के पृष्ठ 28 पर कर ली गई है)
13	पैरा 17	निर्णीत	(रसीदों की पुष्टि कर ली गई)
14	पैरा 18	अनिर्णीत	
15	पैरा 19	अनिर्णीत	
16	पैरा 20	अनिर्णीत	
17	पैरा 21	निर्णीत	(नियमित कर्मचारी की दिनांक 17.12.2002 को मृत्यु होने तथा 18वीं राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता के कारण सफाई का कार्य ठेके पर करवाया गया है)
18	पैरा 22	अनिर्णीत	
19	पैरा 26(क)	अनिर्णीत	
20	पैरा 26(ख)	अनिर्णीत	

¼?k½ vd{k.k ifronu vof/k 4@2003 ls 3@2005

1	पैरा 6	अनिर्णीत	
2	पैरा 7	निर्णीत	(जिन छात्रों के सम्बन्ध में यह भुगतान किया गया है उन्होंने प्रथम आने पर राज्य स्तरीय निपुणता प्रतियोगिता में भाग लिया था। क्योंकि यह छात्र उतीर्ण हो चुके थे तथा हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम द्वारा नियमित छात्रों को ही छूट देने का प्रावधान है)
3	पैरा 8	निर्णीत	((i) पत्र संख्याः एस0टी0वी0 / आई0टी0 / एच0एफ / 4–4 / 2000–29888, दिनांक 11.12.2003 द्वारा निदेषक तकनीकी शिक्षा विभाग की अनुमति प्राप्त कर ली गई है) (ii) प्रधानाचार्य द्वारा अभिलेख सत्यापित / हस्ताक्षरित कर दिया गया है)
4	पैरा 9	अनिर्णीत	
5	पैरा 10	अंषतः निर्णीत	(₹4,22,101 / –की वसूली दिनांक 12.01.06 को कर ली गई है। ₹54,108 / –की वसूली की जानी वांछित है)

6	पैरा 11	निर्णीत	(कालातीत प्रतिभूति निधि ₹85000 जमा करने बारे पुष्टि छात्र कल्याण निधि रोकड़ बही पृष्ठ 27 पर कर ली गई)
7	पैरा 14	अनिर्णीत	
8	पैरा 16	निर्णीत	(वाहन संख्या एच.पी.–25–0739 की लॉग बुक के पृष्ठ संख्या 44,46,48,50,57 पर डलवाए गए ईंधन की स्टॉक प्रविष्टि की पुष्टि कर ली गई)
9	पैरा 17	अंषतः निर्णीत	(i) (भुगतान आदेश पारित करने बारे पुष्टि कर ली गई) (ii) (भुगतान के औचित्य/उदेष्य बारे सूचना प्राप्त की जानी वांछित है)
10	पैरा 18	निर्णीत	(हैवी मोटर ड्राईविंग एवं हैवी अर्थ मूविंग मषीनरी आप्रेटर्ज प्रशिक्षण संस्थान अम्ब के लिए पहचान पत्र शुल्क की राशि ₹100/–प्रति छात्र निर्धारित की गई है)

¼3½ vad{k.k ifronu vof/k 4@2005 ls 3@2007

1	पैरा 3	अनिर्णीत	
2	पैरा 4	अनिर्णीत	
3	पैरा 5	अनिर्णीत	
4	पैरा 6	निर्णीत	(अभिलेख की पुष्टि कर ली गई)
5	पैरा 7	अनिर्णीत	
6	पैरा 8	अनिर्णीत	
7	पैरा 9	निर्णीत	(₹7,58,200/–निम्नानुसार राजकोष में जमा करवा दिए गए हैं)

pkyku la[;k	fnukd	jkf'k
43	07.12.2010	5,79,200.00
5	05.11.2007	1,79,000.00
		₹7]58]200-00

Hkkx&nks

2 orZeku vads{k.k %&

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ऊना, जिला ऊना, मोटर ड्राईवर एवं हैवी अर्थ मूविंग आप्रेटर प्रशिक्षण संस्थान अम्ब व औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बंगाण जिला ऊना के निधि लेखाओं अवधि 4/2007 से 3/2010 तक का अंकेक्षण श्री जितेन्द्र सिंह, अनुभाग अधिकारी तथा श्री संजीव कुमार कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 10.02.2011 से 22.02.2011 तक ऊना में किया गया। विस्तृत जाँच हेतु औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ऊना की आय एवं व्यय के लिए माह 7/07, 2/09, 8/09, 10/07, 9/08, 9/09 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अम्ब की आय एवं व्यय के लिए माह 8/07, 9/08, 9/09, 10/07, 11/08, 11/09 तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बंगाणा की आय एवं व्यय के लिए माह 8/07, 7/08, 8/09, 10/07, 7/08 तथा 8/2009 का चयन किया गया। अनुवर्ती पैरों में दिए गए अभिलेख के अलावा अन्य वांछित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया।

"The audit report has been prepared on the basis of information furnished and made available by the controlling officer of the institution. The office of Local Audit Department disclaims any responsibility for any misinformation on the part of auditee. Responsibility of audit is confined to the months selected for test audit."

vads{k.k vof/k ds nkSjku vk|ksfxd izf'k{k.k laLFkku Åuk ds vkgj.k ,oa forj.k vf/kdkjh fuEukuqlkj Fks %&

Øe la[;k	vf/kdkjh dk uke o in	vof/k
1	श्री छोटू राम प्रधानाचार्य	01.04.2007 से 31.03.2010

3 vads{k.k 'kqYd %&

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ऊना, अम्ब तथा बंगाणा का अंकेक्षण शुल्क ₹9,900/–आंका गया है जिसे अनुभाग अधिकारी के पत्र संख्याः 41/2011, दिनांक 28.02.2011 के द्वारा निदेषक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश षिमला–171009 को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से भेजने बारे प्रधानाचार्य से अनुरोध किया गया। अंकेक्षण शुल्क की राशि प्रधानाचार्य द्वारा बैंक ड्राफ्ट संख्या 560123, दिनांक 28.02.2011 जो कि आई0सी0आई0 बैंक की षिमला शाखा में देय था भिजवा दी गई है।

4 vk|ksfxd izf'k{k.k dsUnz Åuk %&

foÙkh; fLFkfr %& औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ऊना, जिला ऊना के निधि लेखाओं अवधि 01.04.07 से 31.03. 2010 तक की वित्तीय स्थिति इस प्रकार थी :–

o"k	2007&08	2008&09	2009&10
प्रारम्भिक शेष	16,30,711/–	21,88,158/–	23,24,308/–
आय	8,93,800/–	9,80,357/–	20,27,142/–
कुल योग	25,24,511/–	31,68,515/–	43,51,450/–
व्यय	3,36,353/–	8,44,207/–	21,60,230/–
शेष	21,88,158/–	23,24,308/–	21,91,220/–

fnukd 31-03-2010 dk vfUre 'k"k dk fooj.k %&

(क) (i) छात्र कल्याण निधि के बचत खाता संख्या 2000453 में जमा राषि — 1,14,892/–

(ii) प्रतिभूति निधि के बचत खाता संख्या 2000454 में जमा राषि — 3,60,716/–

(iii) भवन निधि के बचत खाता संख्या 2000451 में जमा राशि — 11,92,605/–

;kx 16]68]213@&

(ख) lkof/k tek ;ktuk e fuos'k %&

(i) छात्र कल्याण निधि सावधिक जमा खाता संख्या 349217 अवधि 13.07.08 से 13.07.2010 में जमा — 84,768/–

(ii) छात्र कल्याण निधि सावधिक जमा खाता संख्या 342918 अवधि 21.07.08 से 21.07.2010 में जमा — 68,841/–

(iii) छात्र कल्याण निधि सावधिक जमा खाता संख्या 345608 अवधि 12.01.07 से 12.01.2010/06.05.2010 में जमा — 1,13,376/–

(iv) भवन निधि सावधिक जमा खाता संख्या 349218 अवधि 13.07.08 से 13.07.2010 में जमा — 42,382/–

(v) भवन निधि सावधिक जमा खाता संख्या 345607 अवधि 12.01.10 से 12.01.11 में जमा — 4,36,820/–

;kx 7]46]187@&

(ग) gLrxr jkf'k 'kU;

;kx ¼d$[k$x½ ¾ ₹16]68]213 $ ₹7]46]187 ¾ ₹24]14]400

vUrj %& ₹24]14]400 & ₹21]91]220 ¾ ₹2]23]180@&

<u>अन्तर के कारण</u> :–

(क) निम्न सावधि जमा योजनाओं के निवेश पर प्राप्त ब्याज दिनांक 31.03.2010 तक रोकड़ बही में दर्ज नहीं किया गया :–

Ø0 l0	lkof/k tek l[;k	vof/k	jkf'k ¼C;kt½
	Nk= dY;k.k fuf/k		
1	4,64,688/—	13.07.2000 से 13.07.01	4,385/—
2	4,64,688/—	13.07.01 से 13.07.04	10,798/—
3	3,42,918/—	21.07.03 से 21.07.04	2,935/—
4	4,64,688/—	7/04 से 7/06	7,884/—
5	3,42,918/—	7/04 से 7/06	6,403/—
6	3,45,608/—	1/06 से 1/07	6,089/—
7	4,64,688/—	7/06 से 7/07	4,866/—
8	4,64,688/—	7/07 से 7/08	6,835/—
9	3,42,918/—	7/06 से 7/07	3,952/—
10	3,42,918/—	7/07 से 7/08	5,551/—
11	3,45,608/—	1/07 से 1/08	8,116/—
	Hkou fuf/k		
12	4,64,687/—	13,07.2000 से 13,07.01	2,192/—
13	4,64,687/—	13,07.01 से 13,07.04	5,399/—
14	3,42,917/—	21.07.03 से 21.07.04	17,610/—
15	3,42,917/—	21,07.04 से 09/04	1,599/—
16	4,64,887/—	7/04 से 7/06	3,941/—
17	3,45,607/—	1/06 से 1/07	19,828/—
18	4,64,687/—	7/06 से 7/07	2,433/—
19	4,64,687/—	7/07 से 7/08	3,417/—
20	3,45,607/—	1/07 से 1/2010	94,062/—
		;kx	₹2]18]295@&

(ख) प्रतिभूति निधि बचत खाते पर बैंक द्वारा माह 2/2010 से ₹5,285/—ब्याज दिया गया है जिसे निधि की रोकड़ बही में दिनांक 23.04.2010 को दर्ज किया गया।

(ग) दिनांक 17.07.2009 को प्रतिभूति निधि में प्राप्त आय ₹42,500/—थी। बैंक में ₹42,000/—ही जमा करवाए गए तथा इस प्रकार ₹500/—न तो बैंक में जमा करवाए गए और न ही हस्तगत रखे गए। अतः ₹500/— बैंक में शीघ्र जमा करवाए जाएं।

(घ) प्रतिभूति निधि में ₹100/–रोकड़ बही में दर्ज किए बिना बैंक खाते में जमा करवा दिए गए थे। इस बारे गत अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/05 से 3/07 में आपत्ति उठाई गई थी। तदोपरान्त निसन्देह इसे सम्बन्धित रोकड़ बही के पृष्ठ संख्या 20 पर दर्ज तो कर दिया गया था। परन्तु इस राशि को रोकड़ बही के योग में नहीं लिया गया था। वांछित कार्यवाही अब की जाए।

अतः शुद्ध अन्तर :– 2,18,295 + 5,285 + 100 – 500 = ₹2,23,180/–

5 निम्नानुसार भवन निधि की रोकड़ बहियाँ अवधि 15.02.07 से 07.02.2009 प्रधानाचार्य द्वारा सत्यापित/हस्ताक्षरित नहीं की गई थी। वांछित कार्यवाही अब करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण मे दिखाई जाए।

Øe la[;k	vkS|ksfxd izf'k{k.k dsUnz	vof/k
1	ऊना	15.02.07 से 07.02.2009

6 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ऊना की प्रतिभूति निधि मे सावधि जमा संख्या 345608 अवधि 12.01.2008 से 12.01.2010 में ₹1,13,376 निवेषित थी। इस सावधि जमा में राषि की परिपक्वता ₹1,34,146 बनती थी, परन्तु उक्त सावधि जमा को दिनांक 12.01.2010 को न तो पुनः निवेषित किया गया और न ही इसकी परिपकवता राशि प्राप्त की गई। दिनांक 06.05.2010 को इस सावधि जमा को बचत खाते में जमा करवा दिया गया तथा ₹1,34,146/–प्राप्त की गईं इस प्रकार लगभग 4 महीने तक बैंक द्वारा इस सावधि जमा पर कोई भी ब्याज नहीं दिया गया। अतः यदि यह सावधि जमा पुनः समय पर निवेषित कर दी गई होती हो 8.50% की दर से 4 महीने के लिए ₹2,851/–ब्याज की राशि प्राप्त होनी थी जिसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

7 हिमाचल प्रदेश के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की विवरण पुस्तिका के अनुसार सत्र 2009–10 से छात्रों से ₹100/–प्रति छात्र की दर से जीवन बीमा योजना निधि की वसूली की जानी थी। जाँच में पाया गया कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ने निम्नानुसार सत्र 2009–10 के दौरान छात्रों से ₹100/–प्रति छात्र की दर से ₹55,200/–जीवन बीमा योजना निधि की वसूली नहीं की गई थी जिसे उचित स्त्रोत से वसूल करके इस राशि को निधि में जमा करवाया जाए।

vkS|ksfxd izf'k{k.k laLFkku dk uke	Nk= la[;k	nj	jkf'k
ऊना	355	100	35,500/–
चिन्तपूर्णी	81	100	8,100/–

सन्तोषगढ़	67	100	6,700/–
बंगाणा	49	100	4,900/–
			₹55]200

8 रसीद संख्या 9182 से 9184, दिनांक 25.08.2009 के द्वारा ₹2,850/–प्रति छात्र की दर से ₹8,550/–की निधियाँ वसूल की गई हैं परन्तु छात्रों से प्राप्त निधियों की राशि को सम्बन्धित निधियों में जमा नहीं करवाया गया है जिसे सम्बन्धित कर्मचारी से वसूल करके राशि को निधियों में जमा करवाया जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

9 रसीद संख्या 7,049, दिनांक 03.08.2009 के द्वारा छात्र से ₹2,875/–की निधियाँ वसूली गई, परन्तु माँग एवं प्राप्ति रजिस्टर के पृष्ठ संख्या 8 पर वसूली गई ₹2,875/–के स्थान पर ₹2,650/– दर्ज की गई। अतः इस प्रकार छात्र से वसूली गई राशि गणना में ₹2,25/– (₹2,875 – ₹2,650) कम ली गई है जिसे सम्बन्धित कर्मचारी से वसूल करके निधि में जमा करें।

10 माँग एवं प्राप्ति रजिस्टर के पृष्ठ संख्या 81 पर छात्र कल्याण निधि की प्राप्त की गई राशि का योग ₹8,180/–लगाया गया है जबकि योग ₹8,380/–बनता है। इस प्रकार गणना में ₹200/– (₹8380 – ₹8180) कम लिए गए तथा निधि में जमा नहीं करवाए गए। अतः ₹200/–की वसूली सम्बन्धित कर्मचारी से करके इस राशि को निधि में जमा करें।

11 टयूषन फीस/एडमिषन फीस की ₹1,200/–की बजाए ₹1,100/–प्रति छात्र की दर से निम्नानुसार वसूल की गई। इस प्रकार प्रति छात्र ₹100/–की दर से दो छात्रो से ₹200/–टयूषन फीस की वसूली कम की गई। अतः कम वसूली गई राशि को उचित स्त्रोत से वसूल करके राजकीय कोष में जमा करवाया जाए।

jlhn l[;k	fnukd	V;w'ku@,Meh'ku Qhl olwyh xbZ	olwyh ;kX; jkf'k	de olwyh
7612	07.02.2009	1100/–	1200/–	100/–
7614	10.02.2009	1100/–	1200/–	100/–
				₹200@&

12 Nk= dY;k.k fuf/k %&

(i) मैनेजर एच0पी0 स्टेट को–आप्रेटिव मार्केटिंग एण्ड कन्जयूमर्ज फैडरेषन लिमिटेड नगरोटा बगवां से बिल संख्या 0012463, दिनांक 22.07.09 के अन्तर्गत ₹4,55,374/–के टूल्ज का क्रय किया गया तथा इस राशि को छात्र कल्याण निधि से भुगतान किया गया। यद्यपि इस भुगतान को छात्र कल्याण निधि से करने हेतु निदेषक महोदय की अनुमति प्राप्त कर ली गई थी, परन्तु उक्त अवधि की टूल्ज एण्ड प्लाट की रोकड़ बही के

अनुसार ''टूल्ज एण्ड प्लाट'' शीर्ष में केवल ₹1,60,870/-शेष थी। उक्त अवधि की ही ''मषीनरी एण्ड इक्यूपमैन्ट'' शीर्ष में भी ₹5,10,008/-शेष थी तथा इसी शीर्ष में सरकार द्वारा ₹10,26,000/-की अतिरिक्तता भी प्रदान की गई थी अर्थात ₹15,36,008/- (₹1026000 + ₹510008) मषीनरी एण्ड इक्यूपमैन्ट में उपलब्ध थी, परन्तु संस्था द्वारा निदेषक महोदय को इस बारे अवगत नहीं करवाया गया तथा छात्र कल्याण निधि से टूल्ज खरीदने की अनुमति माँगी गई जबकि 'टूल्ज एण्ड प्लाट' तथा 'मषीनरी एण्ड इक्यूपमैन्ट' शीर्ष में भी उक्त अवधि के दौरान राशि का समुचित प्रावधान था। इसके अतिरिक्त यहां यह उल्लेख करना भी उचित होगा कि संस्था द्वारा मार्च महीने में ही हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 'मषीनरी एण्ड इक्यूपमैन्ट' शीर्ष में प्रदान की गई राशि तथा अतिरिक्तता का अधिकतर व्यय किया गया है। अतः इस समस्त प्रकरण को आवष्यक जाँच हेतु उच्चाधिकारियों के ध्यान में लाया जाता है क्योंकि छात्र कल्याण निधि से व्यय की गई राशि का अधिकतर भाग छात्रों से प्राप्त टयूषन फीस तथा एडमीषन फीस का है जिसे राजकोष में जमा करवाया जाना था। इस सन्दर्भ में आवष्यक जाँच के उपरान्त वस्तुस्थिति तथा कृत कार्यवाही के अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ii) क्रय किए गए टूल्ज इन्डैन्ट संख्या 176803 से 176819 के द्वारा इन्सट्रकटर डीजल मषीन को जारी किए गए हैं, परन्तु मदों की प्रविष्टि की पुष्टि के सत्यापन हेतु भण्डार पंजिका अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई। अतः आवष्यक अभिलेख आगामी अंकेक्षण पर उपलब्ध करवाया जाए।

(iii) एच0पी0 स्टेट को-आप्रेटिव मार्केटिंग एण्ड कन्जयूमर फैडरेषन लिमिटेड नगरोटा बगवां को भुगतान प्रोफोर्मा इन्वायस पर किया गया जबकि यह भुगतान उचित बिल प्राप्त करके किया जाना आपेक्षित था। अतः उपरोक्त अनियमितता का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

13 (क) मैसर्ज ओम कम्पयूटर्ज पालमपुर से बिल संख्या 185, दिनांक 25.07.2009 के द्वारा निम्नानुसार कम्पयूटर्ज का क्रय किया गया तथा इन्हें आई0टी0आई बंगाणा को जारी किया गया, परन्तु आई0टी0आई बंगाणा की भण्डार पंजिका कम्पयूटरों की प्रविष्टि की पुष्टि करने हेतु अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करवाई गई जिसे आगामी अंकेक्षण पर उपलब्ध करवाया जाए।

fooj.k	ek=k	jkf'k
एच0सी0एल0 कम्पयूटर्ज यू0पी0 एस	5 नं0	1,53,702/-
	1 नं0	47,642/-
		2]01]344@&
	बिक्री कर	8]054@&
	किराया	1]500@&
	;kx	₹2]10]898@&

(ख) मैसर्ज धीमान फर्नीचर वर्कस बंगाणा से बिल संख्या शून्य द्वारा 20 कम्पयूटर कुर्सियों का क्रय प्रति कुर्सी ₹1700/–की दर से ₹34000/–मे खुले बाजार से निविदाएं मंगवाने के उपरान्त किया गया। कुर्सियों के क्रय में निम्न अनियमितताएं पाई गई :–

(i) नियन्त्रक भण्डार हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा कम्पयूटर कुर्सी की मद कोड 440102404 की दर ₹1450/–निर्धारित की गई थी, जबकि संस्था द्वारा कम्पयूटर कुर्सी का क्रय ₹1700/–प्रति कुर्सी बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किए खुले बाजार से किया गया। इस प्रकार 1 कुर्सी के क्रय हेतु ₹250/–का अधिक भुगतान किया गया तथा फर्म को कुल ₹5000 (250x20) का अधिक भुगतान किया गया जिसकी वसूली उचित स्त्रोत से करने के अतिरिक्त दर संविदा के आधार पर कुर्सियां क्रय न करने हेतु सम्पूर्ण व्यय को नियमित करवाया जाए।

(ii) 20 कुर्सियां (कम्पयूटर) आई0टी0आई बंगाणा को जारी की गईं परन्तु आई0टी0आई बंगाणा की भण्डार पंजिका कम्पयूटर कुर्सियों की प्रविष्टि की पुष्टि करने हेतु अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करवाई गई जिसे आगामी अंकेक्षण पर उपलब्ध करवाया जाए।

14 vlek;kftr vfxze ¼&

प्रशिक्षण संस्थान द्वारा छात्र कल्याण निधि से निम्न विवरणानुसार अग्रिम राशि के रूप में भुगतान किया गया, परन्तु उक्त राशियों के समायोजन का अभिलेख आवष्यक जाँच हेतु उपलब्ध नहीं करवाया गया। अतः इन राशियों के समायोजन/वसूली बारे इस विभाग को अविलम्ब अवगत करवाया जाए।

fnukad	vf/kdkjh@deZpkjh dk uke	jkf'k ¼₹½
13.05.2008	(i) श्री विनय कुमार	12,350/–
	(ii) श्री यषपाल भारद्वाज	25,000/–
14.05.2008	(i) श्री यषपाल भारद्वाज	2,000/–
	(ii) श्री नीरज कुमार तथा सन्तोष देवी	20,000/–
04.09.2008	(i) श्री रवीन्द्र शर्मा	2,000/–
11.02.2009	(i) श्री रवीन्द्र शर्मा	2,000/–
07.03.2009	(i) श्री यषपाल भारद्वाज	30,000/–
	(ii) श्री परवीन ठाकुर	1,000/–
	(iii) श्री विनय शर्मा	7,000/–
06.04.2009	(i) श्री नीरज शर्मा	45,000/–
	(ii) श्री शाम कुमार	4,378/–

	(iii) श्री तारा चन्द	8,220/–
	(iv) श्री जतिन्द्र शुकला	8,220/–
	(v) श्री अषर कुमार	3,750/–
	(vi) श्रीमति निधि	4,680/–
20.04.2009	(i) श्री नीरज शर्मा	30,000/–
27.08.2009	(i) श्रीमति निधि	1,000/–
01.09.2009	श्री शाम सुन्दर	1,757/–

15 छात्र कल्याण निधि से दिनांक 04.09.2008 को प्रधानाचार्य एवं सचिव आई0एम0सी0 ऊना को ₹1,31,000.00 का भुगतान किया गया। यह भुगतान फर्नीचर के क्रय हेतु किया गया था, परन्तु आवष्यक जाँच हेतु समस्त अभिलेख यथा भण्डार पंजिका, शेष बची राशि की वापिसी इत्यादि से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करवाए गए जिसे आगामी अंकेक्षण पर उपलब्ध करवाया जाए।

16 माह 9/2008 में श्री बिहारी लाल सपुत्र श्री कृष्ण चन्द को वृक्ष काटने तथा ढुलाई करने हेतु क्रमशः ₹1,290/–मजदूरी तथा ₹300/–ट्रैक्टर हेतु भुगतान किया गया, परन्तु वृक्ष की कटाई के उपरान्त प्राप्त लकड़ी को भण्डार पंजिका में दर्ज नहीं किया गया। अतः इस बारे वस्तुस्थिति से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

17 माह 9/2009 में छात्र कल्याण निधि से ₹1,757/–का भुगतान बिजली बिल के रूप में किया गया जो कि हिमाचल प्रदेश सरकार के तकनीकी शिक्षा व्यवसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग के पत्र संख्याः एस0टी0वी0(आई0टी0)(एफ)(5)–5/85, दिनांक 04.11.85 के अनुसार निधि पर वैध प्रभार नहीं है। अतः राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करके निधि में जमा करवाई जाए।

18 माह 9/2009 में छात्र कल्याण निधि से श्री जितेन्द्र शुक्ला को ₹7,689/–का भुगतान किया गया। परन्तु भुगतान के समर्थन में मूल बिल/वाऊचर अभिलेख में उपलब्ध न थे। अतः किए गए भुगतान का औचित्य स्पष्ट करते हुए नियमानुसार अभिलेख आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करें।

19 माह 9/2008 में छात्र कल्याण निधि से विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को ₹14,400/– का भुगतान किया गया, परन्तु भुगतान के समर्थन में सम्बन्धित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से रसीदें प्राप्त नहीं की गई जिन्हें अब प्राप्त करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

20 निम्न विवरणानुसार रसीदों के विरूद्ध छात्रों से अनुपस्थिति दण्ड निधि की राशि की वसूली तो की गई है परन्तु इनसे सम्बन्धित अनुपस्थिति विवरणिका अंकेक्षण में आवष्यक जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं की गई, जिसके

अभाव में रसीदों द्वारा प्राप्त अनुपस्थिति दण्ड निधि की राशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः अनुपस्थिति विवरणिकाएं आगामी अंकेक्षण पर उपलब्ध करवाई जानी सुनिष्चित की जाए।

jlhn l[;k	ekg	VªM	jkf'k
7470	2/09	इलैक्ट्रीशियन	620/—
7471	2/09	वैल्डर	300/—
7493	2/09	कारपैन्टर	60/—
7498	2/09	टरनर	370/—
7499	2/09	पलम्बर	625/—
7615	2/09	फिटर	335/—
7011	2/09	आटो	710/—
7012	2/09	टूल एण्ड डाई	440/—
6648	2/09	फिटर	80/—
6668	2/09	इम्ब्रोईडरी	50/—
6669	2/09	फिटर	180/—
8701	8/09	ड्राफ्टसमैन	70/—
8702	8/09	इम्ब्रोईडरी	70/—
9108	8/09	बैल्डर	255/—
9115	8/09	कटिंग एण्ड सियूंग	250/—
9118	8/09	फिटर	335/—
9119	8/09	ट्रनर	295/—
9120	8/09	इलैक्ट्रीशियन	756/—
9180	8/09	कारपेन्टर	330/—
9181	8/09	पलम्बर	125/—
9505	8/09	पलम्बर	730/—

foÙkh; fLFkfr %& vk|kfxd if'k{k.k lLFkku cxk.kk] ftyk Åuk d fuf/k y[kkvk vof/k 01-04-07 l 31-03-2010 rd dh foÙkh; fLFkfr bl idkj Fkh %&

o"k	2007&08	2008&09	2009&10
प्रारम्भिक शेष	4,42,731 / —	5,93,713 / —	6,64,198 / —
आय	1,80,582 / —	1,45,116 / —	1,96,738 / —
कुल योग	6,23,313 / —	7,38,829 / —	8,60,936 / —
व्यय	29,600 / —	74,631 / —	2,25,847 / —
शेष	5,93,713 / —	6,64,198 / —	6,35,089 / —

fnukd 31-03-2010 dk vfUre 'k"k dk fooj.k %&

(क) (i) छात्र कल्याण निधि के बचत खाता संख्या 02550 में जमा राषि — 3,11,109 / —

(ii) प्रतिभूति निधि के बचत खाता संख्या 02353 में जमा राषि — 27,918 / —

(iii) भवन निधि के बचत खाता संख्या 02552 में जमा राशि — 2,21,062 / —

;kx 5]60]089@&

(ख) lkof/k tek ;ktuk e fuo'k %&

(i) छात्र कल्याण निधि सावधि जमा खाता संख्या 342576 अवधि 14.01.10 से 14.01.2011 में जमा राषि — 75,812 / —

(ii) भवन निधि सावधि जमा खाता संख्या 242577 अवधि 14.01.10 से 14.01.2011 में जमा राषि — 37,907 / —

;kx 1]13]719@&

(ग) gLrxr jkf'k — 'kU;

;kx ¼d$[k$x½ ¾ ₹5]60]089 $ ₹1]13]719 ¾ ₹6]73]808

vUrj %& ₹6]73]808 & ₹6]35]089 ¾ ₹38]719@&

<u>अन्तर के कारण</u> :—

निम्न दर्षाई गई सावधि जमा योजनाओं पर प्राप्त ब्याज की राशि को दिनांक 31.03.2010 तक रोकड़ बही में दर्ज नहीं किया गया था :—

Ø0 l0	lkof/k tek l[;k	vof/k	jkf'k ¼C;kt½
1	3,42,576 / —	14.01.2004 से 14.01.05	2,805 / —
2	3,42,576 / —	14.01.05 से 14.01.07	6,683 / —
3	3,42,576 / —	14.01.07 से 14.01.08	4,586 / —

4	3,42,576 / —	14.01.08 से 14.01.10	11,738 / —
5	3,42,577 / —	14.01.04 से 14.01.05	1,403 / —
6	3,42,577 / —	14.01.05 से 14.01.06	1,621 / —
7	3,42,577 / —	14.01.06 से 14.01.07	1,721 / —
8	3,42,577 / —	14.01.07 से 14.01.08	2,293 / —
9	3,42,577 / —	14.01.08 से 14.01.10	5,869 / —
		;kx	38]719@&

22 निम्नानुसार भवन निधि की रोकड़ बहियाँ अवधि 2 / 2008 से 12 / 2009 प्रधानाचार्य द्वारा सत्यापित / हस्ताक्षरित नहीं की गई थी। वांछित कार्यवाही अब करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण मे दिखाई जाए।

Øe l[;k	vk|kfxd if'k{k.k dUn	vof/k
1	बंगाणा	2 / 2008 से 12 / 2009

23 माँग एवं प्राप्ति रजिस्टर पृष्ठ 35 की जाँच करने पर पाया गया कि 8 छात्रों से रसीद संख्या 8336 से 8343, दिनांक 22.08.2009 के अन्तर्गत ₹350 / —प्रति छात्र की दर से ₹2800 / —निधियों की राशि वसूली गई, परन्तु वसूल की गई राशि ₹2800 / —को सम्बन्धित निधियों में जमा नहीं करवाया गया जिसे अविलम्ब निधि मे जमा करवाया जाना सुनिष्चित किया जाए।

24 रसीद संख्या 8307 तथा 8308, दिनांक 03.08.2009 के अन्तर्गत छात्रों से वसूली गई निधियों की जाँच करने पर पाया गया कि दो छात्रों से भवन निधि की वसूली अर्धवार्षिक ₹500 / —की प्रति छात्र की जानी थी जिसे ₹250 / —प्रति छात्र किया गया। इस प्रकार ₹500 / —(250x2) की वसूली कम की गई जिसे वसूल करके निधि में जमा करवाया जाना सुनिष्चित किया जाए।

25 अवधि 4 / 2007 से 12 / 2009 तक छात्र कल्याण निधि तथा प्रतिभूति निधि की वाऊचर नस्ति आवष्यक जाँच हेतु अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करवाई गई जिसे आगामी अंकेक्षण में उपलब्ध करवाया जाना सुनिष्चित किया जाए।

26 माह 8 / 09 के दौरान बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति लिए छात्र कल्याण निधि की हस्तगत राशि से प्रतिभूति निधि हेतु ₹13000 / —उधार ली गई तथा इस राशि को छात्रों को बतौर प्रतिभूति वापिस (Refund) कर दिया गया। जबकि प्रतिभूति निधि में पहले ही ₹26038 / —की राशि शेष थी। अतः प्रतिनिधि निधि में राषि होते हुए भी बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति से राशि का उधार लेने का औचित्य नियमानुसार स्पष्ट किया जाए।

27 vk|kfxd i;f'k{k.k dUn vEc %&

foÙkh; fLFkfr %& vk|kfxd i;f'k{k.k lLFkku vEc] ftyk Åuk d fuf/k y[kkvk vof/k 01-04-07 l 31-03-2010 rd dh foÙkh; fLFkfr bl idkj Fkh %&

o"k	2007&08	2008&09	2009&10
प्रारम्भिक शेष	13,59,946 / —	13,67,962 / —	15,37,762 / —
आय	2,00,216 / —	1,95,392 / —	4,37,202 / —
कुल योग	15,60,162 / —	15,63,354 / —	19,74,964 / —
व्यय	1,92,200 / —	25,592 / —	47,266 / —
शेष	13,67,962 / —	15,37,762 / —	19,27,698 / —

fnukd 31-03-2010 dk vfUre 'k"k dk fooj.k %&

(क)	(i) छात्र कल्याण निधि के बचत खाता संख्या 1403 में जमा राषि	8,72,935 / —
	(ii) प्रतिभूति निधि के बचत खाता संख्या 1405 में जमा राषि	57,309 / —
	(iii) भवन निधि के बचत खाता संख्या 1404 में जमा	4,29,937 / —
	;kx	13]60]181@&
(ख)	lkof/k tek ;ktuk e fuo'k %&	
	(i) छात्र कल्याण निधि सावधि जमा खाता संख्या 342310 अवधि 09.06.08 से 09.06.2010 में जमा	4,81,877 / —
	(ii) छात्र कल्याण निधि सावधि जमा खाता संख्या 346059 अवधि 02.05.2008 से 02.05.2010 को जमा राशि	3,39,432 / —
	;kx	8]21]309@&
(ग)	gLrxr jkf'k	'kU;

;kx ¼d$[k$x½ ¾ ₹13]60]181 $ ₹8]21]309 ¾ ₹21]81]490@&

vUrj %& ₹21]81]490 & ₹19]27]698 ¾ ₹2]53]792@&

अन्तर के कारण :—

(क) निम्न सावधि जमा पर प्राप्त ब्याज को दिनांक 31.03.2010 तक रोकड़ बही में दर्ज नही किया गया :—

Ø0 l0	lkof/k tek la[;k	vof/k	jkf'k ¼C;kt½
1	3,42,310/–	09.06.03 से 09.06.04	20,545/–
2	3,42,310/–	09.06.04 से 09.06.05	20,788/–
3	3,42,310/–	09.06.05 से 09.06.06	24,028/–
4	3,42,310/–	09.06.06 से 09.06.07	27,663/–
5	3,42,310/–	09.06.07 से 09.06.08	38,853/–
6	3,47,397/–	02.05.02 से 02.05.03	17,871/–
7	3,47,397/–	02.05.03 से 02.05.04	14,404/–
8	3,47,397/–	02.05.04 से 02.05.05	14,714/–
9	3,47,397/–	02.05.05 से 02.05.06	17,007/–
10	3,47,397/–	02.05.06 से 02.05.07	18,816/–
11	3,47,397/–	02.05.07 से 02.05.08	26,620/–
		;kx	₹2]41]309@&

(ख) छात्र कल्याण निधि के बचत खाते पर माह 3/2010 में बैंक द्वारा ₹12,483/–ब्याज दिया गया था जिसे रोकड़ बही में माह 4/2010 में दर्ज किया गया।

'kq) vUrj ¼& ₹2]41]309 $ ₹12]483 ¾ ₹2]53]792@&

28 निम्नानुसार भवन निधि की रोकड़ बहीयाँ अवधि 06.09.2007 से 29.09.2009 प्रधानाचार्य द्वारा सत्यापित/हस्ताक्षरित नहीं की गई थी। वांछित कार्यवाही अब करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण मे दिखाई जाए।

Øe la[;k	vk|kfxd izf'k{k.k dsUnz	vof/k
1	अम्ब	06.09.2007 से 29.09.2009

29 हिमाचल प्रदेश के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की विवरण पुस्तिका के पैरा 6.1(iii) के अनुसार हैवी मोटर ड्राईविंग एवं हैवी अर्थ मूविंग मषीनरी आप्रेटर्ज प्रशिक्षण संस्थान अम्ब के छात्रों से ₹100/–प्रति छात्र की दर से पहचान पत्र शुल्क की वसूली की जानी आपेक्षित थी, परन्तु जाँच में पाया गया कि निम्नानुसार छात्रों से ₹50/–प्रति छात्र की दर से ₹5,250/–पहचान पत्र निधि की वसूली कम की गई है, जिसे उचित स्त्रोत से वसूल करके निधि में जमा करें।

l=	Nk= la[;k	nj olwyh xbZ	nj olwyh ;kX;	de olwyh	jkf'k

2007—08	35	100	50	50	1750 ⁄ —
2008—09	32	100	50	50	1600 ⁄ —
2009—10	38	100	50	50	1900
					₹5250@&

30 हिमाचल प्रदेश के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की विवरण पुस्तिका के पैरा 2.1 के क्रम संख्या 1 के अनुसार हैवी मोटर ड्राईविंग व हैवी अर्थ मेविंग मषीनरी आप्रेटर्ज ट्रेनिंग इन्स्टीटयूट अम्ब जिला ऊना के लिए छात्र प्रवेश संख्या 32 निर्धारित की गई है, जबकि सत्र 2007—08 में 35 तथा सत्र 2009—10 में 38 छात्रों को प्रेवश दिया गया। अतः इस अनियमितता बारे नियमानुसार अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

31 रसीद संख्या 4840 द्वारा 8 छात्रों से ₹10,550 ⁄ —प्रति छात्र की दर से ₹84,400 ⁄ —तथा रसीद संख्या 4841 द्वारा ₹10,550 ⁄ —प्रति छात्र की दर से 2 छात्रो ंसे ₹21,100 ⁄ —की निधियाँ इक्टठी वसूली गई जो कि अनियमित है, क्योंकि जिन छात्रों से यह निधियाँ वसूली गई हैं उन्हें अलग—अलग रसीदें जारी की जानी थी। अतः भविष्य में जिन छात्रों से भी निधियाँ वसूली जाएं उन्हें अलग से रसीदें जारी की जाएं तथा इस प्रकार की पुनरावृति न की जानी सुनिष्चित की जाए।

32 संस्था द्वारा रसीद संख्या 4846 को खाली छोड़ दिया गया था तथा रसीद संख्या 4847 को जारी कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त खाली छोड़ी गई रसीद को रद भी नहीं किया गया था। अतः इस बारे वस्तुस्थिति से इस विभाग को अवगत करवाया जाए कि यह रसीद खाली क्यों रखी गई थी जबकि इसके बाद की रसीदें जारी कर दी गई है।

33 Nk= dY;k.k fuf/k %&

okÅpj l[;k% 'kU;] ekg 29-08-09] jkf'k ₹2]522@&

मैसर्ज डोगरा हौजरी जी0बी0 इन्डस्ट्रीयल ऐरिया बिलासपुर को बैंक ड्राफ्ट संख्या 0172420, दिनांक 29.08.09 के द्वारा ₹2,522 ⁄ —का भुगतान किया गया, परन्तु उक्त फर्म के मूल बिल अभिलेख में उपलब्ध न थे। अतः बिना बिल के किया गया भुगतान का प्रायोजन स्पष्ट किया जाए तथा वस्तुस्थिति से इस विभाग को अवगत करते हुए अभिलेख जाँच हेतु आगामी अंकेक्षण पर उपलब्ध करवाया जाए।

34 श्री विनोद धीमान इन्स्ट्रकटर को दिनांक 06.04.2009 को ₹15,000 ⁄ —बतौर अग्रिम खेलकूद प्रतियोगिता का खर्च वहन करने हेतु जारी की गई जिसमें निम्न अनियमितताएँ पाई गई :—

(i) खेलकूद प्रतियोगिता औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ऊना में दिनांक 30.03.2009 से 02.04.2009 तक आयोजित की गई थी जबकि उन्हें राशि अग्रिम खेलकूद प्रतियोगिता समाप्त होने के उपरान्त दिनांक 06.04.2009 को प्रदान की गई जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए।

(ii) श्री विनोद धीमान ने उक्त राशि में से केवल ₹8,820/–के समायोजन वाऊचर प्रस्तुत किए तथा ₹6,180/–उन्होंने वापिस निधि में लगभग सात महीनों के उपरान्त दिनांक 03.11.2009 को जमा करवाए गए। इतनी देरी से राशि लौटाने पर भी उनसे कोई भी पैनल ब्याज की वसूली नहीं की गई जिसे सम्बन्धित कर्मचारी से वसूल करके निधि में जमा करवाया जाए।

(iii) ₹720/–का समायोजन छात्रों के जलपाल पर दर्षाया गया है, परन्तु उक्त के समर्थन में कोई भी बिल अभिलेख में उपलब्ध नहीं था जिसके बारे में नियमानुसार इस विभाग को अवगत करवाया जाए तथा वांछित बिल/अभिलेख सत्यापनार्थ आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किया जाए।

35 izfrHkwfr fuf/k %&

प्रतिभूति निधि की रोकड़ बही की जाँच करने पर पाया गया कि निम्नानुसार ₹25,000/–बतौर प्रतिभूति राशि छात्रों को हस्तगत राशि से वापिस लौटा दी गई है जो कि अनियमित है, क्योंकि किए गए भुगतान के समर्थन में प्रधानाचार्य द्वारा न तो भुगतान आदेश पारित किए गए थे और न ही रसीदें तथा रोकड़ बही सत्यापित की गई है, जबकि छात्रों को भुगतान हस्तगत राशि से किया गया है। अतः इस बारे वस्तुस्थिति से इस विभाग को अवगत करवाया जाए तथा इस सन्दर्भ में आपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

okÅpj la[;k	ekg	Nk= la[;k	nj	jkf'k
शून्य	9/07	24	500	12000/–
शून्य	4/08	26	500	13000/–
				₹25]000@&

36 fofo/k %&

¼i½ ₹8]42]025@&V;w'ku@,Mfe'ku Qhl jktdks"k esa tek u djuk %&

जाँच में पाया गया कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान द्वारा छात्रों से टयूषन/एडमिषन फीस की राशि तो वसूल कर ली गई है परन्तु इस राशि में से ₹8,42,025/–को चालान के द्वारा राजकोष में जमा नहीं करवाया गया। इस प्रकार का प्रकरण गत अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2005 से 3/2007 में भी पैरा संख्या 9 में दर्षाया गया है। टयूषन/एडमिषन फीस की राशि को समय पर राजकोष में जमा न करवाने के फलस्वरूप जहाँ एक ओर तो सरकार को ब्याज की हानि होती है वहीं दूसरी ओर इस राशि के दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः इस राशि को समय पर राजकोष में जमा न करवाने की जिम्मेवारी निर्धारित की जाए तथा पैनल दर पर ब्याज की वसूली सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी से करके राशि को चालान द्वारा राजकोष में जमा किया जाए।

vkS|ksfxd izf'k{k.k laLFkku dk uke	ekg	ekax ,oa izkfIr iaftdk i0	V;w'ku@,Mfe'ku Qhl dh jkf'k

		l¡[;k	
ऊना	7/07	47, 48	1,19,700/–
		48	8,400/–
		49	11,375/–
		49	43,100/–
	2/09	6	1,200/–
		70	1,100/–
		70	1,200/–
	8/2009	74	1,48,600/–
		8	38,600/–
		7	24,000/–
		79	5,400/–
		10	1,400/–
		80	6,600/–
		8	3,200/–
		8	800/–
		80	4,800/–
		80	200/–
		81	200/–
		81	24,000/–
		11	14,400/–
		81	16,800/–
		81	4,300/–
		82	24,000/–
		11	2,800/–
		83	7,400/–
		83	18,000/–
			₹5]31]575@&
अम्ब		21	12,400/–
		23	2,35,600/–
			₹2]48]000@&
बंगाणा		23, 24	20,800/–
		24	28,800/–
		31	12,450/–
		35	200/–
		35	200/–
			₹62]450@&

dqy jkf'k ¾ ₹5]31]575 $ ₹2]48]000 $ ₹62]450 ¾ ₹8]42]025@&

¼ii½ V;w'ku Qhl@,Mfe'ku Qhl dh ₹1]49]698@&dk nq:i;ksx dk ckjs esa ½&

दिनांक 31.03.2010 को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ऊना की छात्र कल्याण निधि में मात्र ₹3,81,877/–ही जमा थी तथा संस्था द्वारा दिनांक 31.03.2010 तक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ऊना की छात्रों से वसूल की गई टयूषन/एडमिषन फीस की ₹5,31,575 को चालान द्वारा राजकोष में जमा करवाया

जाना था। इस प्रकार ₹1,49,698 (₹5,31,575 – ₹3,81,877) का दुरूपयोग किया गया प्रतीत होता है क्योंकि छात्रों से वसूली जा रही टयूषन/एडमिषन फीस की राशि का रख–रखाव भी छात्र कल्याण निधि की रोकड़ बही में ही किया जा रहा है। अतः दुरूपयोग की राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करके चालान द्वारा राजकोष में जमा करवाई जाए। दिनांक 31.03.2010 को छात्र कल्याण निधि में जमा राशि का विवरण इस प्रकार है :–

(i)	बैंक बचत खाते में राशि	₹1,14,892/–
(ii)	सावधि जमा	₹2,66,985/–
		₹3]81]877@&

¼iii½ jkdM+ cfg;k¡ lR;kfir@gLrk{kfjr u djus ckjs ½&

अंकेक्षण अवधि 4/2007 से 3/2010 तक निम्न विवरणानुसा निधियों को रोकड़ बहियाँ प्रधानाचार्य द्वारा सतयापित/हस्ताक्षरित नहीं की गई है जिसके बारे में नियमानुसार अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा रोकड़ बहियाँ सत्यापित करवाकर अनुपालना आगामी अंकेक्षण पर दिखाई जाए।

vkS|kfxd izf'k{k.k laLFkku dk uke	fuf/k dk uke	vof/k
ऊना	(i) छात्र कल्याण निधि	10/07 से 07.12.09
	(ii) प्रतिभूति निधि	28.09.07 से 07.12.09
अम्ब	(i) छात्र कल्याण निधि	4/2007 से 3/2010
	(ii) प्रतिभूति निधि	9/2007 से 3/2010
बंगाणा	(i) छात्र कल्याण निधि	10/2007 से 3/2010
	(ii) प्रतिभूति निधि	8/2007 से 12/2009

¼iv½ fuf"Ø; laLFkk izfrHkwfr fuf/k ½&

संस्था के प्रोस्पैक्टस के पैरा 4.2 के अनुसार संस्था प्रतिभूति प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को प्रशिक्षण समाप्त होने के पष्चात 1 वर्ष तक देय होती है तथा एक वर्ष समाप्त होने के पष्चात सारी प्रतिभूति जब्त कर ली जाती है तथा जब्त राशि को छात्र कल्याण निधि में जमा करवाई जानी अपेक्षित है। अतः ऐसे सभी प्रशिक्षणार्थियों की संस्था प्रतिभूति, जिसका प्रशिक्षण समापन के एक वर्ष बाद वापिसी दावा प्रस्तुत नहीं किया गया है को अपने स्तर पर सूचि तैयार करके इन प्रशिक्षणार्थियों के खाते में पड़ी राशि को निकालकर छात्र कल्याण निधि में जमा करवाया जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

¼v½ Hk.Mkj jftLVj ds j[k&j[kko ds ckjs esa ½&

संस्था द्वारा समस्त निधियों के भण्डार रजिस्टर का रख–रखाव अलग अलग नहीं किया गया था बल्कि एक ही रजिस्टर में किया जा रहा है तथा स्टॉक प्रविष्टियाँ प्रत्येक वस्तुवार खाते तैयार करके नहीं की

गई थी। इस अनियमितता के कारण प्रत्येक वस्तु की बकाया मात्रा की स्थिति की पुष्टि नहीं हो सकी। अतः सुझाव दिया जाता है कि उपभोज्य एवं अनुपभोज्य वस्तुओं के प्रत्येक वस्तुवार खाते तैयार करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाए।

¼**vi**½ iR;{k lR;kiu %& भण्डार रजिस्टरों का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया जा रहा है। अतः इस सन्दर्भ में नियमानुसार प्रत्येक वर्ष भण्डार मदों का प्रत्यक्ष सत्यापन करवाया जाना सुनिष्चित किया जाए तथा तत्सम्बन्धी परिणाम से इस विभाग को भी अवगत किया जाए।

¼**vii**½ jlhn ifLrdkvksa ds LVkWd jftLVj ckjs %& छात्रों से शुल्क एवं निधियों की वसूली रसीदों द्वारा की गई लेकिन अंकेक्षण अवधि में प्राप्त की गई रसीदों को स्टाक रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया जबकि प्रत्येक रसीद पुस्तिका की स्टॉक प्रविष्टि तथा जारी किए जाने तथा प्रयोग में लाए जाने सम्बन्धी ब्यौरा सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टर में दर्ज किया जाना अपेक्षित था। अंकेक्षण अवधि में कुल प्राप्त रसीदों व उनके उपयोग की जानकारी अभिलेख सहित अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करवाई गई। अतः आवष्यक कार्यवाही अंकेक्षण पर पड़ताल हेतु प्रस्तुत करें।

¼**viii**½ jksdM+ cgh esa fuos'kksa dk 'kkfey u djus ckjs %& औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ऊना, अम्ब तथा बंगाणा की छात्र कल्याण तथा प्रतिभूति निधि की रोकड़ बहियों अवधि 4/07 से 3/10 की जाँच करने पर पाया गया कि उक्त संस्थानों की छात्र निधियों से प्राप्त आय को सावधि निवेषों में निवेषित किया गया परन्तु उक्त निवेषों को रोकड़ बही में से निवेश राशि को रोकड़ बही के भुगतान पक्ष (Cr) में इन्द्राज करके कुल शेष में से उक्त राशि को भुगतान मानकर घटा दिया गया जबकि यह राशि कुल शेष में शामिल रहनी ही वांछित है क्योंकि निवेषित राशि न केवल कुल शेष में पड़ी राशि का रूपान्तरण है अपितु मासांन्त के सरांश में दर्षाई जानी अपेक्षित है अर्थात कुल शेष = निवेषित राशि + बचत खाते में जमा राशि + हस्तगत राशि (यदि हो)। सावधि जमा में निवेषित राशि को रोकड़ बही के कुल शेषों से अलग करके रखने के परिणामस्वरूप किसी अन्य गम्भीर अनियमितता/दुर्विनियोजन की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता तथा इसके अतिरिक्त यह एक लेखांकन (Accounting) अषुद्धि भी है। इस बारे अनुपालना हेतु परामर्ष दिया जाता है कि सावधि निवेषों को भुगतान न मानकर कुल शेष में ही रहने दिया जाए तथा गत एवं वर्तमान अंकेक्षण अवधि में अलग की गई निवेश राशियों तथा उन पर प्राप्त ब्याज को सम्बन्धित रोकड़ बहियों में दर्ज किया जाना सुनिष्चित किया जाए।

¼**ix**½ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ऊना व बंगाणा में उन छात्रों को भी प्रवेश दिया गया था जिन्हें अन्य संस्थानों ने प्रायोजित किया था। इन छात्रों की सूचि अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करवाई गई जिसके अभाव में इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकी कि इन छात्रों की फीस/षुल्क की प्राप्ति कर ली गई है अथवा नहीं अतः समस्त वांछित अभिलेख पुष्टि हेतु आगामी अंकेक्षण में उपलब्ध करवाया जाए।

37 <u>vkifÙk fooj.kh</u> %& इसे अलग से जारी नहीं किया गया।

38 <u>fu"d"kZ</u> %& लेखाओं में सुधार की आवष्यकता है तथा गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों के निपटारे बारे विषेष रूप से कार्यवाही की जानी वांछित है।

उप निदेषक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश षिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)(XI)(i)253 / 12, दिनांक, षिमला–171009.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

i:thd'r ¼&1. प्रधानाचार्य राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ठियोग, जिला षिमला हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को अतिषीघ्र भिजवायें।

2. निदेषक तकनीकी शिक्षा, व्यवसायिक एवं औधोगिक प्रशिक्षण संस्थान सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हिमाचल प्रदेश)

3. सचिव, तकनीकी शिक्षा हिमाचल प्रदेश सरकार षिमला–171002.

4. श्री देसराज चौहान, अनुभाग अधिकारी द्वारा..

उप निदेषक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश षिमला–171009.